RD632366154IN

डाक जीवन बीमा निदेशालय

डाक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

चाणक्यपुरी डाकघर भवन, नई दिल्ली-११००२१

DIRECTORATE OF POSTAL LIFE INSURANCE

Department of Posts, Ministry of Communications & Information Technology, Government of India

Chanakyapuri Post Office Complex, New Delhi-110021

पत्रांक No 5-1/2015-एलआई | दिनांक Dated 10-08-2016

सेवा में,

सभी डाक परिमण्डल प्रमुख,
निदेशक, रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी गाजियाबाद,
अति. डाक महाध्यक्ष(सेना डाक सेवाएं),
56 एपीओ,
सभी डाक रीजन प्रमुख,
सभी निदेशक डाक प्रशिक्षण केन्द्र,
निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता,
सीईपीटी, मैसूर
तकनिकी निदेशक(एनआईसी), डाक भवन, नई दिल्ली.

ग्रा.मी.

विषय- डाक जीवन बीमा की साधारण प्रत्यावर्तनीय बोनस में संशोधन संबंधी गजट नोटिफिकेशन 2014-15

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में गजट अधिसूचना क्रम सं. 5-1/2015-एलआई तिथि 19-07-2016, की प्रति प्राप्त करें। यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावित होगी।

आप इस गजट नोटिफिकेशन की प्रति मुद्रण निदेशालय, प्रकाशन विभाग, नगर विकास मंत्रालय की वेबसाईट पर जा कर (e gazette पोर्टल) से भी प्राप्त कर सकते हैं।

इसे मुख्य महा प्रबंधक(डाजीबी) की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

Centre for Excellence in Postal Technology, Mysore-570010
17 AUG 2016

G.M.	Director	A.D.(A)

(यू.एस. कान्याल)
सहायक प्रबंधक(के)

संलग्नक-यथोपरि

कार्यालय प्रति- मुख्य लेखा अधिकारी, उप मण्डलीय प्रबंधक-I, उप मण्डलीय प्रबंधक-II , सहायक लेखा अधिकारी, सहायक प्रबंधक, सहायक डाक अधीक्षक(आर)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2016/आ षाढ़ 31, 1938
No. 244] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2016/ASADHA 31, 1938

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(डाक विभाग)
(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2016

फा. सं. 5-1/2015-LI.— डाकघर जीवन बीमा नियमावली (2011) के नियम 03 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा निधि की परिसंपत्तियों व देयताओं के बीमांकक मूल्यन (आरपीओएलआईएफ) के 31-03-2015 के आधार पर, महानिदेशक (डाक), ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसियों के मृत्यु अथवा परिपक्वता के कारण उनके दावे बनने पर निम्नलिखित दरों पर साधारण प्रत्यावर्तनीय बोनस की घोषणा करते हैं :-

	बीमा पॉलिसी का प्रकार	बोनस की दर
i.	आजीवन बीमा (डब्ल्यूएलए)	रु. 65/- प्रति एक हजार रुपए की बीमित राशि के लिए
ii.	सावधि बीमा (ईए) (बाल पालिसियों सहित)	रु. 50/- प्रति एक हजार रुपए की बीमित राशि के लिए
Iii.	प्रत्याशित सावधि बीमा (एईए) (जीवाई पालिसियों सहित)	रु. 47/- प्रति एक हजार रुपए की बीमित राशि के लिए
iv	परिवर्तनीय आजीवन बीमा	आजीवन बीमा बोनस की दरें लागू होंगी किंतु परिवर्तन के पश्चात सावधि बीमा के बोनस की दरें लागू होंगी।

2. वर्ष 2014-2015 के लिए बोनस की दरें इस अधिसूचना के सर्कलों में प्राप्त होने की तारीख से लागू होंगी तथा यह उन दावा मामलों के लिए भी लागू होंगी जो इस अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख तक प्राप्त हो चुके थे पर निपटाए नहीं गए थे।

3. उल्लिखित अंतरिम बोनस की दरें भविष्य का मूल्यन पूरा होने तक परिपक्वता अथवा मृत्यु के कारण किए जाने वाले सभी दावों के लिए भी देय होंगी।

4. बोनस में सम्मिलत 50 पैसे या उससे अधिक के अंश को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाए तथा 50 पैसे से कम के अंश की गणना न की जाए।

विश्वपवन पति, मुख्य महाप्रबन्धक(डाजीबी)
(भारत सरकार के सह सचिव के समतुल्य पदधारी)

MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

(DIRECTORATE OF POSTAL LIFE INSURANCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2016

F. No. 5-1/2015-LI.— In exercise of powers conferred vide Rule 3 of Rural Post Office Life Insurance Rules (2011) and on the basis of Actuarial Valuation of the assets and liabilities of Rural Post Office Life Insurance Fund (RPOLIF) as on 31.03.2015, the Director General (Posts) is pleased to declare a simple Reversionary Bonus on the Rural Postal Life Insurance Policies on their becoming claims, due to death or maturity at the following rates :-

	Type of Insurance Policy	Rate of Bonus
i.	Whole Life Assurance (WLA)	Rs. 65/- per thousand of sum assured
ii.	Endowment Assurance (EA) (including children policy)	Rs. 50/- per thousand of sum assured
iii.	Anticipated Endowment Assurance (AEA) (including GY policies)	Rs. 47/- per thousand of sum assured
iv.	Convertible Whole Life Policies	Whole Life Assurance Bonus rate would be applicable but on conversion Endowment Assurance Bonus rate will be applicable.

2. The rates of Bonus for the year 2014-2015 will be applicable from the date of receipt of this Notification by the Circles and this will also be applicable to claim cases received but not settled till the date of receipt of this Notification.

3. Interim Bonus at the rates mentioned above will also be payable for all claims arising due to maturity or death until future valuation is completed.

4. The amount of Bonus involving a fraction of 50 paisa or more shall be rounded off to the next higher Rupee and fraction below 50 paisa shall be ignored.

VISHVAPAVAN PATI, Chief General Manager (PLI)
(Equivalent to the Rank of Additional Secretary, Government of India)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.